International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746; Impact Factor: RJIF 5.34
Received: 26-09-2020; Accepted: 11-10-2020; Published: 29-10-2020
www.alleducationjournal.com
Volume 5; Issue 5; 2020; Page No. 83-87

राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः अतीत से वर्तमान की ओर

मीना [1], कल्पना पारीक [2]
[1] पूर्व सलाहकार, शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली, भारत
[2] अ.प्रो.,शोध निर्देशिका, श्री स्वरूप गोविन्द पारीक स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
भारत एक लोकतान्त्रिक देश है अतः लोकतन्त्र की नीतियों के आधार पर ही हमारे देश में शिक्षा–नीति का निर्धारण होता है। शासन नीति के अतिरिक्त कतिपय अन्य निर्धारकों पर भी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का निर्माण निर्भर करता है। यथा– देश का राजनीतिक दर्शन, देश की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियाँ, देश की सांस्कृतिक परम्पराएँ एवं भौगोलिक स्थिति आदि। इन समस्त तत्वों के आधार पर भारत में समय–समय पर 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का निर्धारण किया गया है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1968 में तथा उसके उपरान्त 1986 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का निर्धारण किया गया। सन् 1992 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 'संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति' तैयार की गई। 29 जुलाई 2020 को 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति 'नई शिक्षा नीति 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र एवं लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। निःसंदेह, यह नई नीति देश में विद्यालयी और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

मुख्य शब्दः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

प्रस्तावना
'राष्ट्रीय नीति' देश के लिए सोच–समझकर बनाई गई नीति होती है जिसमें देश की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक देश की राष्ट्रीय नीति उस देश की शासन व्यवस्था तथा शासक दल की विचारधारा पर आधारित होती है। इस राष्ट्रीय नीति का प्रभाव देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि पक्षों पर पड़ता है। देश की शिक्षा–नीति इस राष्ट्रीय नीति के द्वारा ही प्रभावित होती है। जब किसी राष्ट्र के द्वारा शिक्षा–नीति का निर्धारण किया जाता है तब निर्धारित शिक्षा–नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। आजाद भारत की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियों व आयोगों का गठन किया गया जिन्होने शिक्षा नीति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। समय–समय पर इनके द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर शिक्षा में सतत रूप से विकास होता रहा है। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ठोस व महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये थे। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई जो पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर ही आधारित थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968: 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आजादी के बाद के शिक्षा के इतिहास में एक अहम कदम थी, इसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना तथा सामान्य नागरिकता व संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना था। इसमें शिक्षा प्रणाली के सर्वांगीण पुनर्निमाण तथा प्रत्येक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को ऊँचा उठाने पर बल दिया गया था। साथ ही इस शिक्षा नीति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नैतिक मूल्यों को विकसित करने पर तथा शिक्षा और जीवन में गहरा रिश्ता कायम करने पर भी ध्यान दिया गया था। पूरे देश में शिक्षा की समान संरचना और लगभग सभी राज्यों द्वारा 10+2+3 की प्रणाली को मान लेना 1968 की शिक्षा नीति की शायद सबसे बड़ी देन है। इस प्रणाली के अनुसार विद्यालयी पाठ्यक्रम में छात्र–छात्राओं को एक समान शिक्षा देने के अलावा विज्ञान व गणित को अनिवार्य विषय बनाया गया और कार्यानुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। 1968 की शिक्षा नीति के लागु होने के बाद देश में शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ। यद्यपि ये उपलब्धियाँ काफी महत्वपूर्ण थीं परन्तु यह भी सच था कि 1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्यरूप में परिणत नहीं हो सके। देश के समक्ष आने वाली नई चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं के मद्देनजर एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता अनुभव की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 का आगाज हुआ।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986/92: नवीन शिक्षा नीति आधुनिकीकरण, नवाचार, कार्यकुशलता आदि पर आधारित रही है। इसकी प्राथमिकता के समयबद्ध कार्यक्रमों में– परीक्षा प्रणाली में सुधार, नवोदय विद्यालय, खुले विश्वविद्यालय, निर्देशन व मूल्यांकन, पिछड़े वर्गों की शिक्षा व्यवस्था व सभी को समान शैक्षिक सुविधाएँ व शिक्षा के लिए अधिक से अधिक आर्थिक व्यवस्था आदि समाहित है। शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने और उनके क्रियान्वयन में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनमें सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार शामिल है, जिसे सन् 1992 में अद्यतन किया गया था। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1992 में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत शिक्षा में एकरूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जनांदोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने, देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करने, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायपरक बनाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की जानकारी देने और अंतर्विषयिक अनुसंधान करने, राज्यों में नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, अखिल भारतीय तकनीकी

शिक्षा परिषद् को सुदृढ़ करने तथा खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योग को बढ़ावा देने एवं एक सक्षम मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के प्रयास शामिल हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 इंटरनेट क्रांति से ठीक पहले तैयार हो गई थी जिससे तकनीकी क्षमता को पहचानते हुए पिछले कुछ दशकों के आमूल परिवर्तनों का अंदाजा नहीं लग पाया। नए ज्ञान की नई पीढ़ी और उसके प्रयोग के बीच संकीर्ण समय अंतराल, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षार्थियों की बदलती सामाजिक व व्यक्तिगत आवश्यकताओं और उभरते राष्ट्रीय विकास के लिए उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए विद्यालय और उच्च शिक्षा पाठ्यचर्या का समय–समय पर नवीनीकरण करना आवश्यक हो जाता है। इसी के मद्देनजर हाल ही में 29 जुलाई 2020 को देश की 'नई शिक्षा नीति 2020' को कैबिनेट की मंजुरी मिल गई है जिससे विद्यालयी और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रुपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 के बनने के बाद एक बड़ा विकास सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और कानूनी आधार का स्थापित होना है। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, संविधान के अनुच्छेद 21ए के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में परिकल्पित करता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 द्वारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, जो अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, के दायरे को व्यापक बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक अर्थात् प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सम्मिलित है। नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए इस कानुन का दायरा पूर्व प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) से लेकर 12वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है। इस नीति द्वारा 2030 तक 100 प्रतिशत युवा और प्रौढ़ साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य भी रखा गया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968', 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986' तथा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' का तुलनात्मक अध्ययनः–

शैक्षिक संरचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968	1. 10+2+3 पद्धति का विकास 2. 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा (प्राथमिक + निम्न माध्यमिक शिक्षा) ▪ 1 से 3 वर्ष– पूर्व प्राथमिक विद्यालय ▪ 4 या 5 वर्ष– निम्न प्राथमिक शिक्षा ▪ 3 वर्ष – उच्च प्राथमिक शिक्षा ▪ 3 या 2 वर्ष– निम्न माध्यमिक शिक्षा 3. 2 वर्ष– उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986	1. 10+2+3 का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निश्चित 2. 10 वर्षीय पाठ्यक्रम में– ▪ 5 वर्ष– निम्न प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 की पढ़ाई ▪ 3 वर्ष– उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई ▪ 2 वर्ष– माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 10 की पढ़ाई 3. 2 वर्षीय उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 से 12 की पढ़ाई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	1. 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा और 3 वर्ष की आंगनबाड़ी/पूर्व विद्यालयी शिक्षा के साथ नया **5+3+3+4** विद्यालयी पाठ्यक्रम **आधारभूत स्तर (5)**– (3 से 8 आयुवर्ग) ▪ 3 से 6 वर्ष की आयु तक–पूर्व विद्यालयी शिक्षा आंगनबाड़ी में ▪ 6 से 8 वर्ष की आयु में कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय में **प्रारंभिक स्तर (3)**– (8 से 11 आयुवर्ग) ▪ कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय में **माध्यमिक स्तर (3)**– (11 से 14 आयुवर्ग) ▪ कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई माध्यमिक विद्यालय में **उच्च माध्यमिक स्तर (4)**– (14 से 18 आयुवर्ग) ▪ कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई उच्च माध्यमिक विद्यालय में

भाषाओं का विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968	1. त्रिभाषायी सूत्र लागू 2. निम्न प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 4)– एक भाषा : मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा 3. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 से 7 तक)– दो भाषाएँ: ▪ मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ▪ राष्ट्र–भाषा या सह–राष्ट्रभाषा 4. निम्न माध्यमिक स्तर (कक्षा 8 से 10 तक)– तीन भाषाएँ: ▪ मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ▪ राष्ट्र–भाषा या सह–राष्ट्रभाषा ▪ आधुनिक भारतीय /विदेशी भाषा 5. उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)– दो भाषाएँ
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986	1. देश में त्रिभाषायी सूत्र लागू रहेगा 2. भाषाओं के विकास के मामले में 1968 की शिक्षा नीति पर अमल 3. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा तथा अन्य स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	1. त्रिभाषायी सूत्र लागू रहेगा 2. कम से कम कक्षा 5 तक अधिमानतः कक्षा 8 तक और उससे आगे भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा रखने पर विशेष जोर 3. विद्यालय के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर 4. भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएँ और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध 5. अंग्रेजी व हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा में भी ई–कंटेंट 6. संकेत भाषा देश भर में मानकीकृत

व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968	▪ समाज सेवा और कार्यानुभव, जिसमें हाथ से काम करने तथा उत्पादन अनुभव इत्यादि सम्मिलित हो, प्रत्येक स्तर पर आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकृत। ▪ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1986 तक माध्यमिक स्तर पर 20 प्रतिशत तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986	▪ माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा वर्ग में विभाजित होगा अर्थात व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर या इसके बाद ही दी जाएगी। ▪ व्यावसायिक शिक्षा में ऐसी मनोवृतियों, ज्ञान और कुशलताओं पर बल रहेगा जिनसे उद्यमीपन और स्वरोजगार की प्रवृति को बढ़ावा मिले। ▪ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक 10 प्रतिशत तथा 1995 तक 25 प्रतिशत उच्च माध्यमिक विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	▪ विद्यालयों में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार आदि के साथ पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए बस्ता रहित समयान्तराल मतलब इंटर्नशिप शामिल होगी। ▪ कक्षा 6 से 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किये गये महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे– बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि से संबंधित व्यावसाय की जानकारी प्रदान की जाएगी। ▪ यह सुनिश्चित किया जाए कि 2025 तक विद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त कर लें।

शिक्षा–क्षेत्र में अवसर की समानता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968	▪ विकलांग और मानसिक दृष्टि से असामान्य बालकों की शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ▪ स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए केन्द्र और राज्यों में समितियां बनाई जाएँगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी तथा नारी शिक्षा को समुचित महत्व दिया जाएगा। ▪ पिछड़ी जातियों के बालक–बालिकाओं को अधिकतम शिक्षा सुविधाएँ दी जाएँगी। बंजारा जाति के बालकों की भी शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास किया जाएगा। ▪ ग्रामीण प्रतिभावान बालकों के लिए नवोदय विद्यालय (कक्षा 6 से 12 तक) में नवाचार व प्रयोग की पूर्व सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशन में संचालित होंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986	▪ शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य समुदाय के साथ सहभागी होने में मदद की जाएगी। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिला स्तर पर छात्रावास व स्वैच्छिक प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ▪ विभिन्न पाठ्क्रमों द्वारा स्त्री–शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में पहुँच व निरन्तरता सुनिश्चित की जाएगी। उनके लिए व्यावसायिक, तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। ▪ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिकता देकर विद्यालय खोले जाएँगे। निःशुल्क शिक्षा, अनौपचारिक

	शिक्षा, छात्रवृति योजना, छात्रावास सुविधा, आश्रम विद्यालय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था की जाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	▪ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों पर विशेष ध्यान। ▪ इसमें बालक–बालिका, सामाजिक–सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल है। ▪ इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक–बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। ▪ दिव्यांग, सामाजिक–सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान वाले व पिछड़ी जातियों के बालक–बालिकाओं को अधिकतम शिक्षा सुविधाएँ दी जाएँ। बंजारा जाति के बालकों की भी शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास किया जाए। ▪ विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सामान्य विद्यालय में समावेशन सुनिश्चित हों। ▪ राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968	▪ अध्यापकों का प्रशिक्षण स्तर ऊँचा किया जाएगा ताकि उनकी संख्या में वृद्धि की जा सके। ▪ सैकण्डरी पास व्यक्तियों के लिए दो वर्ष के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ▪ राष्ट्रीय स्तर पर यू.जी.सी. तथा राज्य स्तर पर स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजूकेशन अध्यापक प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वाह करेंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986	▪ अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डी.आई.ई.टी.) की स्थापना की जाएगी। इनके द्वारा नवाचारों व शिक्षण संबंधी नवीन तथ्यों एवं विधियों का बोध कराया जाएगा। ▪ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) को अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक साधन व क्षमता प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	▪ एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढ़ाचा (एनसीएफटीई) 2021 तैयार करना। ▪ वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने कि लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड. डिग्री हो जाएगी। ▪ शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित।

उच्च शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968	▪ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष, द्वितीय डिग्री कोर्स तथा स्नातकोत्तर कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष की रखी जाएगी। ▪ जो छात्र लम्बे अर्थात् 3 वर्ष के कोर्स को लें, उन्हें छात्रवृतियाँ आदि देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। ▪ उच्च शिक्षा का स्तर उँचा उठाया जाएगा और उसमें अनुसंधान तथा शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। ▪ वैज्ञानिक विषयों पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय अथवा अखिल भारतीय स्तर की परिषदों की स्थापना की जाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986	▪ विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवधि 3 वर्ष की होगी तथा इस स्तर पर प्रवेश सीमित रखा जाएगा। ▪ 1985 में स्थापित राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय को समृद्ध किया जाएगा। साथ ही राज्यों में भी खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा (पत्राचार द्वारा) का तेजी से प्रसार किया जाएगा। ▪ पाठ्यक्रम अन्तर–विषयक पद्धति पर आधारित होगा तथा विद्यार्थियों को क्षेत्रीय कार्य, अनुसन्धान आदि की दिशा में विशेष रूप से प्रेरित किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	▪ इस नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना होगा, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा को 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। ▪ सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को अब एक विश्वविद्यालय (बहुविषयक संस्थान) के रूप में ही जाना जाएगा। संबद्ध महाविद्यालयों की प्रणाली को धीरे–धीरे 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा। ▪ देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) स्थापित किए जाएंगे। ▪ एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। समग्र बहुविषयक शिक्षा प्रणाली होगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कार्यप्रणाली लागू। ▪ **विश्वविद्यालयी शिक्षा का** –1 वर्ष पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट –2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा –3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा –4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक (1 वर्ष के एमए के साथ 4 वर्ष की डिग्री के बाद सीधे पीएचडी, एमफिल की आवश्यकता नही) ▪ उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में व दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों

	में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने व परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ▪ एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन। ▪ चिकित्सा व कानुनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन। 3.5 करोड़ नई सीटें।

उपसंहार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत सरकार ने देश की परम्पराओं और मान्यताओं तथा आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयत्न किया है। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए हैं, परन्तु शिक्षा प्रणाली का विकास समय की आवश्यकता के अनुसार नहीं हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में अब भी विचार और कार्य में भारी अन्तर दिखाई देता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक समझा गया है कि शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जाए। इस जाँच के फलस्वरूप ही सन्तुलित एवं संगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास होना सम्भव होगा और ऐसी ही प्रणाली से राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों को पूर्ण योग मिलेगा। जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था और यही नीति अभी तक प्रचलन में भी थी। लेकिन बीते 28 वर्षों में दुनिया कहाँ से कहाँ से तक पहुँच गई है और इसी के मद्देनजर देश की विशाल युवा आबादी की समकालीन जरूरतों और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिये यह शिक्षा नीति बनाई गई हैं। एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने का प्रयास किया गया है जो विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा व उद्योग में जनशक्ति की कमी को पूरा कर सके। यह नीति अभिगम्यता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही की आधारभूत संरचना के आधार पर तैयार की गई है। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति अतीत की गल्तियों से सबक लेते हुए वर्तमान शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी।

संदर्भ सूची

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डॉक्युमेंट रिर्पोट–शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति–1968 https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE-1968.pdf
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डॉक्युमेंट–राष्ट्रीय शिक्षा नीति –1986 तथा संशोधित शिक्षा नीति–1992 https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
3. शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1998) ''शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति–1986 संशोधित शिक्षा नीति–1992 साथ में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति–1968'', भारत सरकार। https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE86-mod92.pdf
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020'' https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
5. जी.के.टुडे, ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 तथा 1986'' 1 अक्टुबर 2016 में प्रकाशित https://www.gktoday.in/gk/national-education-policies-1968-and-1986/
6. समकालीन मुद्दे ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968, 1986 एवं 1992 विकासयात्रा– क्रियान्विति 2005'' https://www.examrace.com/Current-Affairs/NEWS-Journey-of-National-Policy-of-Education-1968-1986-and-1992-Implemented-in-2005.htm
7. दृष्टि आईएएस ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति– महत्व व चुनौतियां'' https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/an-education-policy-that-is-sweeping-in-its-vision
8. करियर इंडिया ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020'' https://hindi.careerindia.com/news/new-national-education-policy-2020-002187.html